न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–824 / 2026
मशरक थाना कांड सं0–227 / 2025

शुभम कु0 सिंह बनाम् बिहार राज्य

25.03.2026 आवेदक अभियुक्त शुभम कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–824/2026, मशरक थाना कांड सं0 227/2025, अंतर्गत धारा 125(a), 125(b), 281, 109(1), 352, 351(2), 351(3),3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिन्हा एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले की प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि घटनातिथि को सूचक अपने भाई अजीत कुमार के साथ अपने दरवाजे पर बैठा था कि शुभम कुमार मारूती कम्पनी का कार से तेज एवं अनियंत्रित ढंग से चलाते हुए जाने मारने की नियत से सूचक के दरवाजे पर आया और दोनों भाई को धक्का मारकर बाउंड्री में लड़ा दिया। पूछने पर मुकेश कुमार सिंह एवं राजेष्वर सिंह, अमन कुमार सिंह गाली–गलौज कर जाने से माने का धमकी देन लगे। हल्ला सुनकर पड़ोस के लोगों को आते देख सभी भाग गए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक पर लगाये गये आरोप झूंठा है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे उनका कथन है कि आवेदक को परेशान करने और मनगढंत कहानी बनाकर झूंठा फंसाया गया है। उभय पक्ष के बीच काउंटर केस संस्थित है। सह–अभियुक्तगण को एबीपी 2210/2025 द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मशरक थाना कांड सं0 227/2025, अंतर्गत धारा 125(a), 125(b), 281, 109(1), 352, 351(2), 351(3),3(5) भा0न्या0सं0 में आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–25,26 में जख्म प्रतिवेदन है एवं पूरक जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति कांड दैनिकी के साथ संलग्न है जिसमें चिकित्सक ने जख्म को साधारण प्रकृति का

पाया है। कंडिका–53 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्ष के बीच काउंटर केस संस्थित है। सह–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त शुभम कुमार सिंह के द्वारा इस आदेश से 30 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0स0 की धारा 482(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होगा, के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।